तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
23.7.15	श्री पंचायतों राजस्व लोक अदालत - अधिनियम न्यायालय अपने वर्ष 2015 में ग्राम मुंडोली में प्रस्तुत हुई / पंचायतों का अवलोकन किया, जिससे साबित होता है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध निषेधाज्ञा बाबत दावा प्रस्तुत करते हुए हल्लगत प्रा०पत्र U/S 212 R.T.Act प्रस्तुत कर दिनांक 7-8-13 को अपीलार्थीगण के विरुद्ध एक पक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश की प्राप्त की कि "अपीलार्थीगण दिनांक 11-9-13 तक आ० ख० नं० 135/0.78, 144/0.98, 181/0.99, 182/0.28, 183/0.29, 185/0.32, 155/1.42, 778/1.46, 770/1.03 वाले ग्राम मुंडोली तह० नगर को एक बय हस्तांतरित न करें, तथा कोई निर्माण कार्य नहीं करें।"
	अपीलार्थीगण के द्वारा दि० 7.8.13 को एक पक्षीय स्थगन आदेश प्राप्त करने के बाद न्यायालय के आदेशों के बावजूद भी अपीलार्थीगण को तलब करने के कोई कार्य नहीं दिखाई दी। प्रस्तुत रजस्व रिकार्ड के अनुसार पक्षकारान ग्रि० अ० के पक्षकारान खेत काश्तकार हैं. कारण खेतकाश्तकार को अस्थाई निषेधाज्ञा पत्रावली नहीं लिया जा सकता क्योंकि अपीलार्थीगण अपने पक्ष पर प्रत्येक इंच पर प्रत्येक छिलोडर का कब्जा माना जाता है अतः [illegible] पर निर्णय करते हुए [illegible] स्थायीत्व निषेधाज्ञा [illegible] पत्रावली वैधानिक गुणा दोषों पर मूल वाद के [illegible] निर्णय करें।

(देवराज पाण्डेय)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.05 12:32:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner